संख्या–1901 / 33–3–2024

प्रेषक,

राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक: 01 अक्टूबर, 2024

विषय– प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज–05) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–984 / छः पु0–15 / 2024 दिनांक 30.09.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज–05) के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय कार्ययोजनाओं में जन–सहभागिता सुनिश्चित करने, महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनके स्वउद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु विभागीय कार्ययोजना के अनुसार कार्य किए जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– उक्त के सम्बन्ध में मिशन शक्ति फेज–05 में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वास्वलम्बन की दिशा में पंचायतीराज विभाग से सम्बन्धित निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाना हैः–

(1) महिला सभाओं एवं बाल सभाओं के आयोजन संबधी पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4121 / 33–3–2022 दिनांक 06.11.2022 के अनुसार महिला सभा एवं 04 बाल सभा का आयोजन कर महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) का भाग बनाया जाय।

(2) पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बालिका शौचालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के साथ ही क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के कार्यालयों में महिलाओं हेतु पृथक से शौचालय का निर्माण कराया जाय।

Amit Srivastava

(3) बी.सी. सखी अथवा स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान किया जाय।

(4) विभिन्न विभागों द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय सहयोग प्रदान किया जाय।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन शक्ति फेज–05 का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में करते हुए विभागीय एम.पी.आर. पोर्टल पर गतिविधियों की फोटो सहित पाक्षिक प्रगति अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः– तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. विशेष/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अभियोजन/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. मिशन निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन, कौशल विकास।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0) उ0प्र0।
12. समस्त प्रधान/सचिव एवं पंचायत सहायक, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Amit Srivastava

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या- 984 /छः-पु0-15/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ग्राम्य विकास / पंचायती राज/ नगर विकास / युवा कल्याण / राजस्व / महिला कल्याण / संस्कृति, वित्त, औद्योगिक विकास एवं सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 लखनऊः दिनांक- **30-09-2024**

विषयः- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज-05) का शुभारम्भ ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1407/छः-पु0-15/2023, दिनांक- 11.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु "मिशन शक्ति" विशेष अभियान (फेज-04) दिनांक- 15.10.2023 से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे । प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अभियानों की भाँति एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए आगामी शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर **दिनांक- 03.10.2024 से** "मिशन शक्ति" का 90 दिवसीय विशेष अभियान (फेज-05) का शुभारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2. मिशन शक्ति अभियान के दौरान प्रदेश भर के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को साथ में जोड़ते हुए उनके द्वारा जनजागरूकता की प्रभात फेरियाँ निकाली जाएं । जन जागरुकता अभियान के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए । मिशन शक्ति अभियान से जुड़े सभी विभागों द्वारा आगामी शारदीय नवरात्र की अवधि में जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ।

मिशन शक्ति से सम्बन्धित समस्त विभाग- गृह / बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ग्राम्य विकास/ पंचायती राज / नगर विकास / युवा कल्याण / राजस्व / संस्कृति एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय कार्य योजना **(संलग्नक- क)** के अनुरूप कार्यक्रम सम्पादित किये जाएं । उक्त विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए ।

3. "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें बीट पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, बी0सी0 सखी, लेखपाल, ए0एन0एम0 , आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक आदि की निर्धारित दिन को उनकी उपस्थिति उस ग्राम/न्याय पंचायत व वार्ड में सुनिश्चित की जाये । आयोजन में ग्राम प्रधानों/सभासदों से भी समन्वय कर आवश्यक सहयोग लिया जाए । प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर कार्य को आगे बढ़ाया जाए । कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर उनका पंजीयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए । महिला सशक्तीकरण जन जागरण के ये कार्यक्रम प्रदेश के समस्त वार्ड व ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाएं ।

4. उपरोक्त कार्यक्रमों में निम्नानुसार महिला सुरक्षा, महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया जाए:-

(क) महिला सुरक्षाः-

- महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना।
- महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न प्रमुख कानूनों यथा-घरेलू हिंसा से संरक्षण दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रम एवं भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध प्रमुख अपराध आदि की जानकारी देना।

(ख) महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करनाः-

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग करस्पाण्डेण्ट सखी, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना, पी0एम0 सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेण्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट, आदि योजनाओं की आच्छादता, पात्रता हेतु अर्हताएं, मापदण्ड, आवेदन की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सर्व सम्बन्धित विभागों के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाना।

(ग) महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करनाः-

वीमेन पावर लाइन -1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन- मोबाइल पर डेमो, सी0एम0 हेल्प-लाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्प-लाइन नम्बर-1098, वन स्टाप सेण्टर-181, साइबर हेल्प-लाइन-1930, स्वास्थ्य सेवा हेल्प-लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्या के अनुसार सहायता हेतु सम्बन्धित हेल्पलाइन/फोरम तक पहुँच एवं समस्या निवारण के प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाए।

(घ) मौके पर समस्याओं का निस्तारण- जैसे पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति में कठिनाई, वृद्धजन/निराश्रित महिलाओं की समस्या व साइबर अपराध आदि।

5. महिलाओं में स्व-उद्यमिता (self-employment/Entrepreneurship) विकसित करने के दृष्टिकोण से महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय, लखनऊ के समीप Women's Fest का आयोजन किया जाए, जिसमें स्वयं महिलाओं एवं विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी एवं स्टाल लगायी जाए साथ ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सांस्कृतिक संगीत संध्या, वार्ता कार्यक्रम, स्वास्थ्य चेक-अप कैंप, प्रेरणात्मक भाषण, नुक्कड़-नाटक, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, साफ-सफाई व स्वास्थ्य सत्र आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

6. मिशन शक्ति विशेष अभियान के पाँचवें चरण में पूर्व अभियान में संचालित कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नलिखित नवीन कार्यक्रमों का समावेश किया जायेः-

- महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से 1090 की तर्ज पर महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन की शुरुआत की जाए, जिसमें gynaecologist द्वारा टेलीकंसल्टेंसी के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया जाए।
- औद्योगिक विकास विभाग के समन्वय से यूपीसीडा के चिन्हित औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैन्टीन का संचालन किया जाए, जिसमें पृथक से महिला शौचालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
- बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से औपचारिक शिक्षा से वंचित अथवा ड्रॉपआउट किशोरी बालिकाओं को चिन्हित करते हुए व्यापक स्तर पर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए तथा पृथक ऐप अथवा पोर्टल के माध्यम से इसकी प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए।
- बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से महिलाओं को New Emerging Trend के अनुसार Financial Literacy विशेष तौर पर बैंक फ्रॉड एवं Digital Literacy विशेष तौर पर

साइबर फ्राड सिक्योरिटी के लिए बालिकाओं को जागरूक करने हेतु कंटेन्ट/वीडियो तैयार करके उनको syllabus में जोड़कर छात्राओं को पढ़ाया जाए।

- वित्त विभाग के समन्वय से महिलाओं एवं बालिकाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का प्रयास किया जाए एवं महिलाओं के उत्थान/प्रयासों हेतु किये गये कार्यक्रमों के लिए पिंक बजट की व्यवस्था की जाए।
- महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सशक्त नारी-सशक्त प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को टेक्सटाइल एवं फ़ैशन डिजाइनिंग एवं हेल्थ केयर, ब्यूटी वेलनेस, कम्प्यूटर ट्रेनिंग एवं विभिन्न क्षेत्रों मेंSkill Develop करा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए उनका प्लेसमेंट कराया जाए।
- सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
- तेलंगाना पुलिस मॉडल पर आधारित महिलाओं की सुरक्षा के लिए यू0पी0-112 ऐप विकसित किया जाए।
- मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-05 में सम्मिलित समस्त विभागों द्वारा अपनी कार्ययोजना के अनुरूप मूल्यांकन हेतु मापदण्ड निर्धारित करते हुए अभियान के दौरान चलाए गए समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा/मूल्यांकन आई.आई.एम. / आई.आई.टी. संस्थान से कराया जाए।

7. प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा उस जनपद की विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं को अवार्ड प्रदान किया जाए एवं उनसे आमजन से संवाद स्थापित किया जाए।

8. स्थानीय स्तर पर (तहसील स्तर पर) समाज के लिए कोई विशिष्ट या बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जाए।

9. कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे-लघु फिल्म नुक्कड़ नाटक, ध्वनि संदेश, संवाद, सूचनापरक पुस्तिका व सूचनापरक पम्फलेट आदि का प्रयोग किया जाए तथा सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में पम्फलेट का वितरण भी किया जाए।

10. प्रत्येक जिले के 5 शीर्ष Social Media Influencer द्वारा मिशन शक्ति से सम्बन्धित content को उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से नियमित अंतराल पर पोस्ट करायी जाए।

11. आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो, वीडियो, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जाएं तथा प्रिण्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

12. उत्तर प्रदेश और राज्य में सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सहित सभी सिनेमा हॉल में मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित लघु विज्ञापन प्रसारित किया जाए।

13. कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आई0डी0- 1090police@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 30-09-2024 12:52:54

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, शासन।
2. पुलिस महादिनेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन / महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त जोनल, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
9. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Signed by
Deepak Kumar
Date: 30-09-2024 12:56:08

(दीपक कुमार)
अपर प्रमुख सचिव।